अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 19–69/2012

गायत्री कुमारी –– अपीलार्थी

वनाम

राज्य –– रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश दिनांकः 15.09.2012 ई० अंदर वाद संख्या–55/12–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत अपील वाद जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में दाखिल गया था जिसे सचिव, कल्याण विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 2354 दिनांक 17.05.13 के आलोक में इस वाद की सुनवाई हेतु उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा को हस्तान्तरण किया गया था वो उनके द्वारा आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 494/क0 दिनांक 02.08.2013 के आलोक में इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है ।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं निम्नन्यायालय के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार संक्षेप में मामला यह है कि मोनिका ठाकुर, परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा दिनांक 16.08.12 को बाल परियोजना सोनवर्षा अन्तर्गत कोपा पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र–कोपा पूर्वी केन्द्र संख्या –38 में गायत्री कुमारी (अपीलार्थी) एवं अनिता देवी ऑगनबाड़ी सेविका की उपस्थिति में टी0 एच0 आर0 वितरण की जॉच की गई जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितता/त्रुटियॉ पायी गयीः–

1. श्रीमति पुनम देवी की सास गुलाब देवी पति– कपूरी पासवान द्वारा बताया गया कि वे अपने पुत्र बधु के लिए टी0 एच0 आर0 के रूप 02.500 किलो ग्राम चावल ही प्राप्त की है। रंजन देवी पति– दिनेश पासवान एक गर्भवती महिला है उन्हें टी0 एच0 आर0 के रूप में मात्र 02.00 किलो ग्राम चावल ही प्राप्त हुआ है। श्रीमति कबिता देवी पति– विनोद पासवान धात्री महिला है वे टी0 एच0 के 02.00 किलो ग्राम चावल एवं 01.00 ग्राम दाल

प्राप्त हुआ है।

2. ऑगनबाडी केन्द्र के संचालन में कई अनियमितताएँ पायी गई है। लाभुकों के लिखित बयान से पता चलता है कि उन्हें टी0 एच0 आर0 निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में अनाज दिया गया है।

3. केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की संख्या 10 थी।

उक्त आलोक में जॉच पदाधिकारी द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

श्रीमति गायत्री कुमारी, सेविका (अपीलार्थी) से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 1380–1/आई0सी0डी0एस0 दिनांक 30.08.12 से ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सुनवाई की तिथि 07.09.2012 निर्धारित की गयी। उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कथन किया गया है कि :–

(क) यह कि दिनांक 16.08.2012 को मेरे केन्द्र का श्रीमति मोनिका ठाकुर परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें मुझपर आरोप लगाया गया है कि टी0एच0आर0 के वितरण में अनियमितता की गई है। यह आरोप गलत वो बेबुनियाद है तथा सत्य से परे है।

(ख)यह कि परि0 उप समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा जिस आरोपकर्त्ता के जॉच के आधार पर मुझे पर जो आरोप लगाया गया है कि सेविका के द्वारा लाभुकों को प्रतिमाह चावल 2 किलो तथा दाल 1 किलो वितरण किया जाता है। यह आरोप बिल्कुल सत्य से परे है।

(ग) यह कि परि0 उप समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा जो लाभुक के बचान के आधार पर मुझ पर आरोप गठन किया गया है, उन सभी लाभुकों का बयान शपथ–पत्र माध्यम से मैं अपनी स्पष्टीकरण के साथ संलग्न करती हूँ।

(घ) यह कि आरोप पत्र में जिन– जिन लाभुकों के बयान का आधार बनाया गया है वह सभी लाभुकगण अपने अपने शपथ–पत्र के माध्यम से श्रीमान् को सूचित कर रही है कि हमलोगों को सेविका के द्वारा प्रतिमाह 2.50 किलो चावल एवं 1.25 किलो दाल नियमित ढंग से मिलता आ रहा है। इससे स्पष्ट हाता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ।

आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा लाभुकों के शपथ–पत्र के आधार पर उक्त वर्णित आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्रीमति नूतन कुमारी नामित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा भी उक्त केन्द्र का औचक निरीक्षण दिनांक 16.08.2012 को किया गया है। बच्चों की संख्या –30 थी। लाभार्थियों का चार्ट भरा हुआ नहीं था। सामाजिक अंकेक्षण के सदस्य केन्द्र पर नहीं थे। महिला लाभुकों के पूछने पर पता चला कि उन्हें 02.00 किलो ग्राम चावल एवं 01.00 किलो ग्राम दाल टी0 एच0 आर0 के रूप में मिलता है।

नामित जॉच पदाधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2012 को जॉच के क्रम में कुल तीन लाभार्थियों का लिखित बयान लिया गया है। लिखित बयान निम्नप्रकार है:–

1. गुलाब देवी, पति – कर्पूरी पासवान द्वारा बताया कि वे अपनी पुत्र बधु पुनम देवी (धात्री महिला) के लिए टी0एच0आर0 के रूप में 02.500 किलो ग्राम चावल ही प्राप्त की है।

2. रंजन देवी, पति – दिनेश पासवान निवासी कोपा (गर्भवती महिला) द्वारा बताया गया कि उन्हें टी0 एच0 आर0 के रूप में मात्र 02.00 किलो ग्राम

चावल प्राप्त हुआ है।

3. कविता देवी, पति– विनोद पासवान निवासी कोपा (धात्री महिला) द्वारा बताया गया कि टी0एच0आर0 के रूप में 02.00 किलोग्राम चावल एवं 01.00 किलो ग्राम दाल ही प्राप्त हुआ है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 1540–1 दिनांक 15.09.12 में उल्लेख किया है कि नामित निरीक्षी पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लाभुकों के लिखित बयान से स्पष्ट होता है कि ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में टी0 एच0 आर0 का वितरण किया गया है।

नामित निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण के कम में ऑगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उपस्थित बच्चों की संख्या –10 थी। ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उपस्थित बच्चों की संख्या के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। निदेशक अ0सी0डी0एस0 बिहार पटना के ज्ञापांक –आई0सी0डी0एस0 /35010 /1–2012/2020 दिनांक 20.06.2012 कि A: कंडिका I (2) में के अनुसार केन्द्र संचालन की अवधि में किसी भी समय ऑगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों की संख्या बिना पर्याप्त कारण के 14 या 14 से कम पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस केन्द्र की सेविका चयनमुक्त करने की कार्रवाई किये जाने संबंधी प्रावधान के आलोक में अपीलार्थी का स्पष्टीकरण संतोषप्रद प्रतीत नहीं होने की स्थिति में ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमति गायत्री कुमारी , कोन्द्र कोपा पूर्वी, केन्द्र संख्या 38–कोपा को उक्त पत्र के आलोक में चयनमुक्त किया गया है तथा चयनमुक्त सेविका को जिला पदाधिकारी के यहॉ 30 दिनों के अन्दर अपील करने का समय दिया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के माध्यम से कथन करते हैं कि जॉच पदाधिकारी श्रीमति मोनिका ठाकुर द्वारा उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण प्रपत्र–I के खण्ड ''ख'' के कमांक –1 में केन्द्र पर निरीक्षण के समय उपस्थित बच्चों की संख्या एवं कमांक –2 में भौतिक सत्यापन के बाद उपस्थित बच्चों में पंजीकृत बच्चों की संख्या में ओभररायटिंग की ओर ध्यानाकृष्ट किया गया। ***निरीक्षण प्रपत्र के परिशीलन से ज्ञात होता है कि जॉच पदाधिकारी द्वारा केन्द्र पर निरीक्षण के समय उपस्थित बच्चों की संख्या एवं भौतिक सत्यापन के बाद उपस्थित बच्चों में पंजीकृत बच्चों की संख्या निर्दिष्ट करने हेतु दिये गये स्थान पर संख्या में ओभररायटिंग किया गया है।***

निम्नन्यायालय के अभिलेख के पेज संख्या 9 पर रक्षित दिनांक 16.08.12 को निरीक्षण पुस्तिका की छाया प्रति में दर्ज निरीक्षण टिप्पणी के परिशीलन से इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ***जॉच पदाधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में ''बच्चों की उपस्थिति कम थी'' अंकित किया गया है, यद्यपि जॉच पदाधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजी पर 30 को काटकर 10 बनाया गया है। इसी प्रकार [redacted] के पेज संख्या 8 पर रक्षित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा निरीक्षण पुस्तिका की छाया प्रति में दर्ज निरीक्षण टिप्पणी में भी ''बच्चों की संख्या 30'' अंकित किया गया है।*** जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपने आदेश में उक्त तिथि को नामित जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच करने की बात का उल्लेख करते हुए टी0एच0आर0 वितरण में लाभुकों को कम वितरण किये जाने का कथन किया गया है। इस संबंध में अंकनीय है कि जॉच पदाधिकारी द्वारा जिन तीन लाभर्थियों का साक्ष्य रूप में बयान दर्ज किया गया है उन तीनों लाभार्थियों ने स्वतंत्र रूप से अलग–अलग शपथ पत्र के साथ लिखित बयान दिया है कि उन्हें नियमित रूप से निर्धारित मात्रा में टी0 एच0 आर0 प्राप्त हो रहा है साथ ही साथ इन्होंने यह भी अंकित किया है कि उनके द्वारा सेविका के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत जॉच पदाधिकारी के समक्ष नहीं की थी। इस प्रकार लाभार्थियों द्वारा दो अलग–अलग समय में बयान बदला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जॉच पदाधिकारी द्वारा बयान को आधार मानना प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना।

अभिलेख पर रक्षित कागजात् का अवलोकन किया। *उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से बच्चों की कम उपस्थिति एवं टी0एच0आर0 वितरण में लाभार्थियों को कम मात्रा में वितरण किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । अतएवं श्रीमति गायत्री कुमारी, केन्द्र कोपा पूर्वी, केन्द्र संख्या –38 पंचायत – कोपा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वप निम्नन्यायालय द्वारा पारित चयनमुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए उक्त केन्द्र को क्रियाशील करने के निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।*

लेखापित एवं संशोधित।

01/11/13

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

01/11/13

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमंडल, सहरसा